दिल्ली विकास प्राधिकरण

9 अक्टूबर, 2020 को प्रात: 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे :

<u>अध्यक्ष</u>

श्री अनिल बैजल
उपराज्यपाल, दिल्ली

<u>उपाध्यक्ष</u>

श्री अनुराग जैन

<u>सदस्य</u>

1 श्री विजय कुमार सिंह
वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.

2 श्री शैलेन्द्र शर्मा
अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.

3 श्री कामरान रिज़वी
अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

4 श्रीमती अर्चना अग्रवाल
सदस्य सचिव, एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड

5 श्री विजेन्दर गुप्ता, विधायक

6 श्री सोमनाथ भारती, विधायक

7 श्री दिलीप कुमार पांडे, विधायक

8 श्री ओ.पी. शर्मा, विधायक

9 श्री योगेश कुमार वर्मा
निगम पार्षद, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

<u>सचिव</u>

श्री डी.सरकार
आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

<u>विशिष्ट आमंत्रितगण</u>

1 श्रीमती रेणु शर्मा
अपर मुख्य सचिव (शहरी विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार।

2 श्री मनीष कुमार गुप्ता
सदस्य (प्रशासन एवं भूमि प्रबंधन), दि.वि.प्रा.

3 डॉ. राजीव कुमार तिवारी
प्रधान आयुक्त (कार्मिक, भू-दृश्य, आवास और उद्यान), दि.वि.प्रा.

4 श्री ज्ञानेश भारती
आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम

<u>उपराज्यपाल सचिवालय</u>

1. श्रीमती अंकिता मिश्रा बुंदेला
उपराज्यपाल की सचिव

2. श्रीमती तन्वी गर्ग
उपराज्यपाल की विशेष सचिव

3. श्रीमती रूचिका कत्याल
उपराज्यपाल के संयुक्त सचिव

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितगणों और वरिष्ठ अधिकारियों का अभिनंदन किया ।

<u>मद संख्या 45</u>

दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में श्रीमती भावना मलिक, निगम पार्षद, पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा किए गए योगदान के लिए प्रशंसा।

एफ. 2(5)2020/एमसी./डी.डी.ए./पार्ट

एजेंडा मद में प्रस्तावित संकल्प को रिकॉर्ड किया गया।

<u>मद संख्या 46</u>

दिनांक 29.09.2020 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।
एफ. 2(4)2020/एम.सी./डी.डी.ए.

दिनांक 29.09.2020 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुए श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय प्राधिकरण सदस्य, ने अधिमान्य स्थान/फ्लोर शुल्क-नीति तैयार करने के आधार पर आबंटन के संबंध में मद सं. 43/2020 के संबंध में यह अभिव्यक्त किया था कि अनुमोदन को रोका जाएगा क्योंकि इससे बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है।

यह निर्णय लिया गया कि उक्त निर्णय को होल्ड पर रखा जाए और एक उप समिति बने जिसमें श्री विजेन्द्र गुप्ता और श्री सोमनाथ भारती, प्राधिकरण के माननीय सदस्य और अन्य अधिकारी शामिल हों, जो आवश्यकतानुसार पुन: जांच करें और तदनुसार प्राधिकरण की अगली बैठक में एजेंडा मद रखी जाए।

<u>मद संख्या 47</u>

दवाओं और औषधि के डीलरों और थोक व्यापारियों के समावेश हेतु पैरा 15.7.1 में प्रस्तावित संशोधन।
एफ. 3(7)2018/एम.पी.

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। इस मामले को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 क के अंतर्गत अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेजा जाए।

<u>मद संख्या 48</u>

योजना जोन-ई में आने वाले शास्त्री पार्क 19800 वर्ग मीटर क्षेत्र के भूमि उपयोग का सामुदायिक खेल केंद्र के विकास के लिए मनोरंजनात्मक 'सार्वजनिक अर्ध-सार्वजनिक' में परिवर्तन करने से संबंधित प्रस्ताव।
एफ. 20(07)2019/एम.पी.

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। इस मामले को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 क के अंतर्गत अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पास अग्रेषित किया जाए।

<u>मद संख्या 49</u>

जहाँपनाह सिटी फॉरेस्ट, जोन-फ में धार्मिक उद्देश्य हेतु 400 वर्ग मीटर भूमि के भूमि उपयोग को मनोरंजनात्मक से सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक में परिवर्तन करने हेतु प्रस्तावित परिवर्तन।
एफ. 20(05)2020/एम.पी.

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव का अनुमोदन दिया गया। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 क के अंतर्गत आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

<u>मद संख्या 50</u>

के एसएलपी (सी) सं. 7500/2019 दिनांक 21.10.2019 की एम ए नं. 1384 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों/निदेशों के अनुसार संत गुरु रविदास जी मंदिर निर्माण समिति के पक्ष में 400 वर्ग मीटर भूमि का आबंटन।
एफ. 8(9)19/आईएल

प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया। इस मामले को नजूल नियमों के नियम 5 के अंतर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेजा जाए।

<u>मद संख्या 51</u>

शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नीलाम की जाने वाली भूमि के संबंध में न्यूनतम आरक्षित मूल्य रिर्जव मूल्य युक्ति संगत बनाने हेतु गुणन कारक में कमी।
एफ .7ए(पॉलिसी-रिलिजियस)15/आई.एल

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया।

<u>मद संख्या 52</u>

पार्क के आकार पात्रता मानदंडों और गोद लेने की अवधि में रियायत
पैरा 4.0: गोद लेने के लिए उपलब्ध दि.वि.प्रा. पार्कों की पात्रता,
पैरा 7.0: गोद लेने की अवधि, पार्क गोद लेने की दिविप्रा नीति, 2019
एफ.पी.ए./एसी. (एल.एस.)/2014/डी.डी.ए/187/वोल.1

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था। यह स्पष्ट किया गया था कि नीति के अनुसार पहली स्कीम के अंतर्गत जिस एजेंसी ने पार्क को गोद लिया हुआ है चाहे उन्होंने पुरानी नीति के अनुसार 12 वर्ष पूरे कर लिए हो उसे नई नीति के अंतर्गत नया आवेदक माना जाएगा।

इसके अतिरिक्त, दि.वि.प्रा. प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्य के लिए उन पार्कों के दौरों की व्यवस्था करेगा जिन्हें नीति के कार्यान्वयन के मूल्यांकन करने के लिए गोद लिया गया है ।

<u>मद संख्या 53</u>

फ्लैटों की मानक लागत निर्धारण के लिए दिनांक 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक प्रभावी निर्माण के प्लिंथ क्षेत्र दरों (पीएआर) का निर्धारण।
एफ.21(2125)2019/एचएसी/डीडीए

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मद संख्या 54</u>

निजी स्वामित्व वाली भूमि के विकास को समर्थ करने के लिए एस.ओ. 3249(ई.) दिनांक 04.07.2018 द्वारा अधिसूचित नीति को कार्यान्वित करने के लिए प्रभारों का निर्धारण।
एफ.5(05)2019/ए.ओ.(पी.)/डीडीए

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव इस संशोधन के अधीन अनुमोदित किया गया था। कि बाह्य विकास प्रभार (ईडीसी) को एजेंडा मद में यथा प्रस्तावित 6,000/-रु प्रति वर्ग मीटर की बजाय 5,000/- प्रति वर्ग मीटर की दर से वसूल किया जाएगा।

एक प्रश्न के प्रत्युत्तर में यह स्पष्ट किया गया था कि विकास क्षेत्रों में ये प्रभार दिविप्रा को और गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में ये प्रभार संबंधित नगर निगम को प्राप्त होंगे।

यह मामला दिविप्रा द्वारा अंतिम अधिसूचना से पहले अनुमोदन के लिए डी.डी. अधिनियम 1957 की धारा 57 के अंतर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेजा जाए।

<u>मद संख्या 55</u>

निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में पूर्व निर्धारित दरों (पीडीआर) का निर्धारण :

(क) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रोहिणी आवासीय स्कीम फेज IV एवं V
(ख) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए टीकरी कलाँ एवं
(ग) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए नरेला

एफ. 2(204)2020/ए.ओ.(पी)/डीडीए

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह मामला दिविप्रा (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियम, 1981 के नियम 2(1) के अंतर्गत अधिसूचना और अनुमोदन के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेजा जाए।

मद संख्या 56

विवाद से विश्वास स्कीम के अंतर्गत आयकर मामलों के विवाद समाधान
एफ.6(4)2017-18/ए/सी (एम)/पार्ट-II

एजेंडा मद में शामिल जानकारी पर टिप्पणी की गयी ।

माननीय प्राधिकरण सदस्यों द्वारा उठाए गए 'अन्य मुद्दे'

श्री विजेन्द्र गुप्ता

i) हस्तांतरण विलेखों के निष्पादन की प्रक्रिया की समीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि वर्तमान में यह धीमी और अपर्याप्त है ।

ii) पंडित लेख राम शर्मा मार्ग, केशव पुरम में मकानों को गिराने की प्रस्तावित कार्रवाई की पुन: समीक्षा की जाए।

श्री सोमनाथ भारती

i) दि.वि.प्रा. को डी.ए.वी. विद्यालय, युसुफ सराय को भूमि आबंटित करने पर विचार करना चाहिए अन्यथा स्कूल बंद हो रहा है।

ii) दि.वि.प्रा. को दि.वि.प्रा. फ्लैटों में अतिरिक्त निर्माण के नियमन पर विचार करना चाहिए। यह नगर निगमों को और अधिक संपत्ति कर एकत्र करने के लिए भी समर्थ होगा।

श्री ओ.पी. शर्मा

i) हालांकि प्राधिकरण की बैठकों में यह निर्णय लिया गया था कि दि.वि.प्रा. में मुख्य अभियंताओं के 50% पद, यदि अपेक्षित हो तो भर्ती नियमों में छूट दे कर, दि.वि.प्रा. संवर्ग से भरे जाएंगे। इसके बजाय रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति पर भरने के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं।

श्री दिलीप कुमार पांडेय

i) 62 बचे हुए मामलों में अनुकंपा नियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए।

<u>श्री योगेश कुमार वर्मा</u>

i) पिछले कुछ वर्षों में अशोक विहार के दि.वि.प्रा. पार्कों में दिल्ली जल बोर्ड (डी.जे.बी.) द्वारा शुरू किए गए मरम्मत कार्य अब भी अधूरे हैं जिसके परिणामस्वरूप पार्क कई जगहों पर खुदे पड़े हैं।

ii) दि.वि.प्रा. को अपने कार्यक्रम स्थलों की नीलामी नीति की समीक्षा करनी चाहिए क्योंकि ऐसी संभावना है कि ये स्थल टेंट माफिया द्वारा ले लिए जाएंगे जिससे ये आम जनता के लिए महंगे हो जाएंगे।

उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने सूचित किया कि दिनांक 29.09.2020 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को इस बैठक, जोकि पिछली बैठक आयोजित होने के कुछ समय पश्चात ही आयोजित की गई थी, में प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। हालांकि, दोनों बैठकों (अर्थात दिनांक 29.09.2020 और 09.10.2020 को आयोजित बैठकों) के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (ए.टी.आर.) प्राधिकरण के समक्ष अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएंगी।

माननीय उपराज्यपाल ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितगणों और वरिष्ठ अधिकारियों का धन्यवाद किया ।

अध्यक्ष के धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई ।